

प्रेषक,

रामनिवास यादव (भा0प्र0से0),

निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,

झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक/

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत स्थायी संबद्धता प्राप्त गैर अनुदानित स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों को सहायता अनुदान मद में रु0 37,26,00,000/- (सैतीस करोड़ छब्बीस लाख रुपये) के स्वीकृति के विरुद्ध रु0 34,38,00,000/- (चौतीस करोड़ अड़तीस लाख रुपये) मात्र भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 432/बजट दिनांक 28.03.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत स्थायी संबद्धता प्राप्त गैर अनुदानित स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों को सहायता अनुदान मद में रु0 37,26,00,000/- (सैतीस करोड़ छब्बीस लाख रुपये) के स्वीकृति के विरुद्ध रु0 34,38,00,000/- (चौतीस करोड़ अड़तीस लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु संलग्न सूची अनुसार निम्नवत् आवंटन प्रदान की जाती है-

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	राँची विश्वविद्यालय, राँची	21S220203796BS010646	2,23,20,000
2	सिद्धों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका		6,82,80,000
3	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा		93,60,000
4	विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	21S220203102BS010646	10,96,80,000
5	बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद		8,37,60,000
6	नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू		5,04,00,000
कुल योग –			34,38,00,000

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-(क) -"मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102 -विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष- BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थाना हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) (विपत्र कोड- 21S220203102BS010646) (स्कीम कोड-2107) एवं

(ख) "मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थाना हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) (विपत्र कोड- 21S220203796BS010646) (स्कीम कोड-2107) के अंतर्गत होगा।"

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत संबंधित कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।



5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
 6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।
 8. स्वीकृत्यादेश संख्या 432/बजट दिनांक 28.03.2024 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 9. सभी संबंधित विश्वविद्यालयों को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 19.02.2024 को आहूत अनुदान समिति की बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेश के आलोक में नियमानुसार महाविद्यालयों को राशि उपलब्ध करायी जाय।
 10. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।
 11. वित्त विभाग का पत्रांक 660/वि० एवं 661/वि० दिनांक 06.03.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के मार्च माह में निकासी के लिए 15 प्रतिशत की अधिसीमा को क्षान्त किया जाता है।
- अनुलग्नक - यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो०1-10/2018 (उ०शि०)...../राँची, दिनांक-/2024

प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/जिला कोषागार, हजारीबाग/जिला कोषागार, दुमका/जिला कोषागार, पलामू/जिला कोषागार, धनबाद एवं जिला कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो०1-10/2018 (उ०शि०)...../राँची, दिनांक-/2024

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव,राँची विश्वविद्यालय, राँची/विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/ सिद्धों कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा एवं बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO1-10/2018/433/BUDGET

दिनांक - 30-Mar-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BS010646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BS - निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर, कार्यशाला, कन्सलटेसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं 01-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना, कार्यशाला, कन्सलटेसी, द्वितीय पाली में कक्षा का संचालन, नैक प्रशिक्षण अनुसंधान एवं परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित महाविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान State Scheme State Scheme : FREE & DISTANCE EDUCATION, COACHING CENTER, WORKSHOP, CONSULTANCY, SECOND Central Scheme : SHIFT CLASSES, NAAC, RESEARCH, INCUBATION CENTER AND GRANTS-IN-AID TO VITTA RAHIT COLLEGES(2107)	103711	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	243,840,000.00 रुपये चौइस करोड अडतीस लाख चालीस हजार
2	S 21 220203796BS010646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना BS - निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर, कार्यशाला, कन्सलटेसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं 01-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना, कार्यशाला, कन्सलटेसी, द्वितीय पाली में कक्षा का संचालन, नैक प्रशिक्षण अनुसंधान एवं परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित महाविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान State Scheme State Scheme : FREE & DISTANCE EDUCATION, COACHING CENTER, WORKSHOP, CONSULTANCY, SECOND Central Scheme : SHIFT CLASSES, NAAC, RESEARCH, INCUBATION CENTER AND GRANTS-IN-AID TO VITTA RAHIT COLLEGES(2107)	103717	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	99,960,000.00 रुपये नौ करोड निन्नानवे लाख साठ हजार

योग: रुपये चौतीस करोड अडतीस लाख
क्रमिक योग:

(RAMNIWAS YADAV)
DIRECTOR

343,800,000.00